न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2023 (निगरानी)

उनवान

1 महावीर प्रसाद मालव पुत्र श्री लाला जी आयु 42 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम भांडाहेडा तहसील दीगोद पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा

(निगराकार)

बनाम

1. ग्राम पंचायत भांडाहेडा पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा राज0 जर्ये सरंपच /ग्राम विकास अधिकारी
2. पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा राज0 जर्ये विकास अधिकारी

(गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1. श्री बृजमोहन मालव (अभिभाषक निगराकार)
:– 2. श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना (अभिभाषक गेरनिगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधि0 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.07.2020 ग्राम पंचायत भांडाहेडा व आदेश दिनांक 06.09.2023 पंचायत समिति सुल्तानपुर कोटा

निर्णय दिनांक : 26.07.2024

1. निगराकार द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायत समिति सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 06.09.2023 एवं आदेश दिनांक 06.07.2020 ग्राम पंचायत भांडाहेडा प्रस्ताव सं0 3/2020 के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। गैर निगराकार न01 के अभिभाषक उपस्थित हुए। गैर निगराकार न02 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3 उपस्थित विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक निगराकार का बहस निगरानी में कथन है कि निगराकार का एक खेत खसरा नम्बर 1001 ग्राम भांडाहेडा कच्चे रास्ते पर उत्तर में स्थित है,कच्चे रास्ते के दक्षिण में धनराज सैन का खेत स्थित है, धनराज सेन ने अपने खेत के बीच में मिट्टी की डोली बनाकर पानी का बहाव को रोक दिया है और ग्राम पंचायत से मिलकर निगराकार के खेत में बरसात का पानी निकालने पर उतारू है, जब धनराज सेन पानी निकालने के लिये निगराकार की तरह नाली खोदने लगा तो निगराकार ने दिनांक 27.07.2023 को पुलिस थाना कैथून जिला कोटा में धनराज सेन व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस वालो

अति. जिला कलक्टर
कोटा

ने जब धनराज सेन को तलब किया तो धनराज सेन ने ग्राम पंचायत का एक निर्णय दिनांक 6.07.2020 प्रस्तुत किया और उस निर्णय में पंचायत की मिटिग बुलाकर अवैध रूप से प्रस्ताव लिया गया है कि धनराज सेन के खेत का पानी नाली खोदकर व उस पर पाईप डालकर निगराकार के खेत की तरफ निकाला जाये। गैर निगराकार ग्राम पंचायत की धारा–32 व प्रथम अनुसूची राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994 में कृषि भूमि में नाली खोदकर पाईप डालकर पानी निकालने का कोई अधिकार उपरोक्त नियमो में नहीं दिया हुआ है। गैर निगराकार ने बिना किसी अधिकारिता के दुर्भावना से धनराज सेन से मिलीभगत कर दिनांक 6.07.2020 का निर्णय किया है जो शुरू से ही शून्य है। गैर निगराकार के दिनांक 6.07.2020 के निर्णय की सूचना दिनांक 28.07.2023 को प्रथम बार पता चला कि गैर निगराकार ग्राम पंचायत ने निगराकार के विरूद्ध निगराकार के खेत से पानी निकालने का निर्णय कर रखा है। निगराकार ने गैर निगराकार के आदेश दिनांक 6.07.2020 के विरूद्ध एक अपील पंचायत समिति सुल्तानपुर में प्रस्तुत की थी लेकिन पंचायत समिति सुल्तानपुर ने निगराकार को सुने बिना ही दिनांक 06.09.2023 को निगराकार की अपील अस्वीकार कर दी गई । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जावें, गैरनिगराकार ग्राम पंचायत भांडाहेडा का निर्णय दिनांक 6.07.2020 व पंचायत समिति सुल्तानपुर का आदेश दिनांक 6.09.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

5. गैर निगराकार कम 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषाक का बहस में कथन है कि ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा ने सदस्यों के साथ मौका देखकर मौके की स्थिति के अनुरूप ही फैसला किया है। पूर्व में वर्षा का पानी धनराज पुत्र द्वारकालाल सेन के खेत में होकर निकलता था तथा पुराने रास्ते पर गहरी खाई होने की वजह से रास्ते से खाल में निकल जाता था। वर्तमान में वहा नरेगा रोड बन जाने से पानी का निकास अवरूद्ध हो गया। मेड के पास पाइप डाला है। ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 6.07.2020 की अपील तीन वर्ष बाद पंचायत समिति में पेश की गई थी। जिसको पंचायत सीमित ने अवधि बाधित मानते हुए दिनांक 6.09.2023 को खारिज कर दी गई ग्राम पंचायत में यदि कोई प्रार्थनापत्र पेश करता है तो उसका निर्णय मय कोरम में 45 दिन के अन्दर अन्दर करना होता है, तथा उक्त पानी की निकासी सुखाधिकार अधिनियम (easement) के तहत पंचायत को अधिकार है। निगराकार को द्वितीय अपील जिला परिषद में करनी चाहिए थी। जबकि निगराकार ने इस न्यायालय में निगरानी पेश की ग्राम पंचायत कोरम द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो उचित है। निगराकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

6. वकील निगराकार की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टान पेज 1582 एस0सी0 पेज न01583 एस0सी0 पेज नं0 1588 एस0सी पेश किये गये जिनकी भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि निगराकार द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा के आदेश दिनांक 06.07.2020 एवं पंचायत समिति सुल्तानपुर के निर्णय दिनांक 06.09.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा के निर्णय,पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि महावीर मालव ने प्रा0पत्र पेश जो दिनांक 15.06.2020 का था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि नोटशीट 20.06.2020 की है,और ग्राम पंचायत बैठक में दिनांक 6.07.2020 को निर्णय पारित किया। उक्त अवधि 45 दिन के अन्दर मियाद है। जिस पर ग्राम पंचायत को निर्णय पारित करने का अधिकार था। ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा ने सदस्यो के साथ मौका देकर ही मौके की स्थिति के अनुरूप ही फैसला किया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में किये गये कथन सारभूत एंव तथ्य परक नहीं होने से निगराकार की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं समझते है। साथ ही जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये है,वो पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते है।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

8. अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी उपरोक्त विवेचन अनुसार खारिज की जाती है।

9 निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

मुकेश कुमार चौधरी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा